[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 54/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. ………. (अ)–आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 38 की उपधारा (2) के पहले परंतुक और धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1144(अ), तारीख 11 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 30/2017-केंद्रीय कर, तारीख 11 सितंबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

सारणी में,--

(क) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) में, "31 अक्तूबर, 2017 तक " अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवम्बर, 2017 तक " अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 3 के स्तंभ (4) में, "10 नवम्बर, 2017 तक " अंकों और शब्द के स्थान पर, "11 दिसम्बर, 2017 तक " अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार